कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 23/01/2026**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 22.01.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

1. थाना जमानियाँ पुलिस टीम द्वारा लूट/झपटामारी की घटना कारित करने वाले 02 नफर शातिर अपराधियों को 12 घण्टे के अंदर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा.315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस , 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर व झपटामारी का 15,000 रुपया बरामद किया गया।

अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.01.2026 को प्रभारी निरीक्षक जमानियां मय टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में ताजपुर व चितावनपट्टी के बीच में लूट/झपटामारी करने वाले अपराधी कही और घटना कारित करने के मकसद से थाना क्षेत्र में मौजूद हैं, अगर जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक जमानियां मय पुलिस टीम द्वारा बदमाश को घेरघार कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। भैदपुर से लहुवार रोड़ नहर तिराहा के पास खुद को घिरा देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से निशाना लगाकर फायर किया जाने लगा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में संतुलित फायरिंग की गयी तो बदमाश अरमान कुरैशी पुत्र सद्दीक कुरैशी नि0ग्राम पठान टोली कस्बा जमानियाँ थाना जमानियाँ गाजीपुर के दोनो पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। जिन्हें तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सीएसी जमानियाँ गाजीपुर उपचार हेतु भेजा गया।पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता घायल /गिरफ़्तार अभियुक्तगण व आपराधिक इतिहास -

1. अरमान कुरैशी पुत्र सद्दीक कुरैशी नि0ग्राम पठान टोली कस्बा जमानियाँ थाना जमानियाँ गाजीपुर उम्र-22 वर्ष

1. मु0अ0स0-17/2026 धारा- 304(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जमानिया गाजीपुर
2.मु0अ0सं0-333/2025 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर
3.मु0अ0सं0-82/2024 धारा-309(4),317(2) बीएनएस थाना सुहवल गाजीपुर

4.मु0अ0सं0-99/2019 धारा-147,323,336,504,506 भादवि थाना जमानियाँ गाजीपुर
5.मु0अ0सं0- 09/2020 धारा-11 पशु क्रुरता अधि0 थाना जमानियाँ गाजीपुर
6.मु0अ0सं0-182/2021 धारा-354(क),452,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना जमानियाँ गाजीपुर
7.मु0अ0सं0-039/2022 धारा- 379,411 भादवि थाना जमानियाँ गाजीपुर
8.मु0अ0सं0-40/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना जमानियाँ गाजीपुर
9.मु0अ0सं0-294/2023 धारा-147,323,504 भादवि थाना जमानियाँ गाजीपुर
10.मु0अ0सं0-039/2024 धारा-309(4),317(2),61(2) बीएनएस थाना नगसर हाल्ट गाजीपुर
11.मु0अ0सं0-48/2024 धारा-3(1) गैगें एक्ट थाना नगसर हाल्ट गाजीपुर
12. थाना कांड सं0 100/24 धारा 302,120b,34 भादवि थाना रामगढ जनपद कैमूर भभूआ बिहार

2. दिलनवाज उर्फ साहरुख पुत्र कमरुद्दीन नि0ग्राम सुभान टोली कस्बा जमानियाँ थाना जमानियाँ गाजीपुर उम्र 20 वर्ष

1. मु0अ0सं0- 17/2026 धारा- 304(2) बीएनएस थाना जमानियाँ गाजीपुर।

बरामदगी-

1.02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
2.02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
3.01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
4.झपटामारी का 15,000 रुपया बरामद

02. महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र गाजीपुर का सराहनीय कार्य - आपसी मतभेद की वजह से अलग हुए 06 परिवारों की मध्यस्थता के माध्यम से कराई गई सकुशल विदाई।
गिले शिकवे भूल एक-दूजे के हुए 06 दम्पत्ति।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गाजीपुर महोदय के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 22.01.2026 को कार्यालय महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र गाज़ीपुर में पति पत्नी के विवाद से संबंधित कुल 22 प्रकरण को सुना गया जिसमे काफी समय से विवादित चल रहे 06 प्रकरण में दोनों पक्षों को बैठा कर मध्यस्थता के माध्यम से बिना किसी दबाव के राजी खुशी से गिले शिकवे भुला कर सकुशल विदाई करवाई गई। जिसमें 02 प्रकरण में कुशलता के बाद पत्रावली बंद कर दी गई। 05 प्रकरण में विधिक सुझाव देते हुए पत्रावली बंद कर दी गई शेष प्रकरण में अभी मध्यस्ता न होने के कारण अगली तिथि निर्धारित की गई। इन सभी प्रकरण के निस्तारण में काउंसलर कमरूद्दीन, महिला आरक्षी रागिनी चौबे, महिला आरक्षी संध्या, महिला आरक्षी अभिलाषा,आरक्षी शिव शंकर यादव,आदि लोग प्रमुख थे।

3. “श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट के मुकदमें के अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50000/- रू के अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।”

दिनांक 22.01.2026 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 125/23 धारा 354, 504, 506, 376 AB भादवि एवं धारा 5M/6 पॉक्सो एक्ट तथा 3(2)(v), 3(1)(द), 3(1) (घ) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अ भियुक्त जीवित उर्फ जीउत यादव पुत्र कमलेश यादव उर्फ कमलदेव निवासी भुसौला थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर को धारा 5M/6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000/-रू0 अर्थदण्ड की सजा, तथा धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/-रू0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर